



# उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की (हरिद्वार)

पता: सुनेहरा रोड (निकट-के. एल. पालीटेक्निक छात्रावास), काशीपुरी -247 667  
दूरभाष : 01332-266370, 266371 फ़ैक्स 266349 Website: www.ubter.in

सेवा में,

संस्था कोड-164

निदेशक/प्रधानाचार्य,  
इलैक्ट्रानिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर,  
कानिया, रामनगर, जिला-नैनीताल।

पत्र संख्या : 3021/उ.प्रा.शि.प./ए.आई.सी.टी.ई./सम्ब./2024-25 दिनांक : 19.06.2024

**विषय:- डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु संस्था को शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु परिषद् द्वारा सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने विषयक।**

महोदय,

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के अनुमोदन पत्र सं० FNo. Northern /1-43663303255/2024/EOA दिनांक 23 मार्च 2024 के क्रम में आपके संस्थान को निम्न तालिका में अंकित पाठ्यक्रम हेतु उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रुड़की द्वारा सत्र 2024-25 हेतु परिषद् से निम्न शर्तों के अधीन सम्बद्धता विस्तार (Extension of Approval) प्रदान की जाती है।

Course (s)	Level	Approval Intake	Shift	Duration of Course (s)
Diploma in Mechanical Engineering	Diploma	60	1 <sup>st</sup>	03 years
Computer science and engineering	Diploma	60	1 <sup>st</sup>	03 years
Electrical Engineering	Diploma	60	1 <sup>st</sup>	03 years

शर्त :-

- स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक संख्या में प्रवेश किसी भी परिस्थिति में न दिये जायें।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या समयबद्ध पूर्ण करना संस्थान की जिम्मेदारी होगी।
- संस्थानों में इण्टरनेट की सुचारु व्यवस्था होनी अनिवार्य है।
- AICTE परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के परीक्षण हेतु उत्तराखण्ड शासन/निदेशालय/परिषद् /ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा पूरे सत्र में किसी भी कार्य दिवस में किसी भी समय संस्थान का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है।
- प्रत्येक ब्रांच में परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या ही पढ़ायी जाएगी। पाठ्यचर्या परिषद् की वेबसाइट www.ubter.in पर उपलब्ध है।
- प्रत्येक संस्थान को अपनी सूचना दिग्दर्शिका (Information Booklet) प्रकाशित करनी होगी, जिसमें संस्थान के प्रत्येक Course/Programs का विवरण एवं Infrastructural Facility का विवरण तथा संस्थान में छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया जाएगा।
- AICTE मानकों के अनुसार संस्थान को "Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions" का पालन करना अनिवार्य होगा, जिससे संस्थान को पूर्णतः रैगिंग मुक्त रखा जा सके।
- संस्थान द्वारा ए०आई०सी०टी०ई० के मानकों के अनुरूप प्रधानाचार्य/स्टाफ की नियुक्ति की जायेगी।
- यदि संस्थान किसी पाठ्यक्रम को बन्द करता है अथवा सीटों की संख्या में वृद्धि करता है, तो उसे ए०आई०सी०टी०ई० का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- संस्थान के अन्दर Non Technical कोर्सेज प्रारम्भ नहीं किये जायेंगे। ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम ही संचालित किए जायेंगे।
- संस्थान की एक अपनी वेब साईट होना अनिवार्य है, जिस पर समस्त सूचनायें अपलोड की जायेंगी।

12. यदि कोई छात्र संस्थान छोड़ता है तो ए0आई0सी0टी0ई0 के नियमानुसार फीस वापस करनी होगी।
13. टी0एफ0डब्ल्यू0 के अन्तर्गत जिन छात्रों को सीट आवंटित होगी उनसे ट्यूशन फीस नहीं ली जायेगी।
14. संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निकस-2024 के अन्तर्गत आयोजित काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित छात्रों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा।
15. उत्तराखण्ड शासन/निदेशालय/परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का संस्थान द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
16. संस्था द्वारा छात्रों के शिक्षण-प्रशिक्षण को उच्चतम स्तर पर पूर्ण कराना एवं ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा दिए गए मानकों को पूर्ण करना संस्था का उत्तरदायित्व है।
17. राज्य के युवाओं में बढ़ती नशाखोरी के प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु संस्थान में एण्टी ड्रग कमेटी का गठन अनिवार्य रूप से किया जायेगा और नियमित अन्तराल पर परामर्श सत्र (counselling sessions) आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
18. संस्थान परीक्षाओं को सुचारू, शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं नकलविहिन सम्पन्न कराएगा।
19. संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित शैक्षणिक मानक/मापदण्ड का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा तथा किसी भी अपात्र अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को संस्थान द्वारा प्रवेश नहीं दिया गया है। तदपि यदि कोई अपात्र अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी प्रवेश पा जाता है तो उसका किसी भी स्तर पर प्रवेश/अभ्यर्थन निरस्त करने की पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान की होगी।
20. सम्बद्धता विस्तार संस्थान को इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि परिषद् द्वारा गठित निरीक्षण समिति के निरीक्षणोपरान्त सभी व्यवस्थाएं ए.आई.सी.टी.ई. मानकों के अनुरूप पाए जाने के उपरान्त ही मान्य होगा। यदि निरीक्षण समिति द्वारा कोई कमी इंगित की जाती है तो शीघ्र-अतिशीघ्र निरीक्षण समिति द्वारा दिए गए समय के अनुसार कमी पूर्ण करनी होगी।
21. निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1363/XXIV(8)/2009-03/04 दिनांक 27 अक्टूबर 2009 एवं 600/XXIV(8)/2010-51 /2005 दिनांक 28 अप्रैल 2010 के अनुसार डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए रू0 35000/- प्रति वर्ष शुल्क निर्धारित है एवं डिप्लोमा फार्मसी के लिए रू0 45000/- प्रति वर्ष शुल्क निर्धारित है। तदनुसार ही छात्रों से शुल्क लिया जायेगा। उसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या अधिक का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय




(डा० राजेश उपाध्याय)  
सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- The Regional Officer, All India Council for Technical Education, Govt. Polytechnic Campus, Adjoining Directorate of Technical Education, Vikash Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh-208002.
2. संयुक्त सचिव, आई0आर0डी0टी0, अपर आमवाला, देहरादून।



(डा० राजेश उपाध्याय)  
सचिव